भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 633
25 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

शीतागार सुविधाएं

633. श्री रोड़मल नागरः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शीतागार श्रृंखला/शीतागार प्रदान करने के लिये कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का शीतागार स्थापित करने हेतु राजसहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले शीतागारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कोई प्राथमिकता तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शीतागार की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या ये शीतागार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो शीतागारों की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बागवानी एवं गैर-बागवानी उपज की फसलोत्तर हानियों को नियंत्रित करने तथा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय, खेत से लेकर उपभोक्ता तक सतत प्रदीपन सुविधा सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए भंडारण एवं परिवहन अवसंरचना हेतु अनुदान सहायता के रूप में सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीप समूहों में 50% की दर से तथा मूल्यवर्धन एवं प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमश: 50% और 75% की दर से परंतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है । एकीकृत कोल्ड चेन एवं परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना व्यक्तियों, उद्यमी समूहों, सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज), गैर-सरकारी संगठनों, केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा की जा सकती है । शीत श्रृंखला स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए घटक हैं- (क) खेत स्तरीय अवसंरचना (एफएलआई), (ख) वितरण हब (डीएच), (ग) प्रशीतित वैने/ट्रक/आवेष्टित वैने/चल आवेष्टित टैंकर और (घ) प्रदीपन सुविधा । इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक खेत स्तरीय अवसंरचना और ऊपर (ख) और (ग) में उल्लिखित एक अथवा दोनों घटकों की स्थापना करनी होती है । परंतु स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु अद्वितीय शीतागार पर विचार नहीं किया

जाता है । स्कीम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र प्रेरित है और इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं । एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत 296 शीत श्रृंखला परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं । 296 शीत श्रृंखला परियोजनाओं में से 152 परियोजनाओं ने अपने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिए हैं और शेष 144 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं एफडब्लू) देश में बागवानी विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है । मिशन के अंतर्गत सहायता शीतागारों की स्थापना करने सहित फसलोत्तर प्रबंधन घटकों के विकास के लिए दी जाती है । घटक उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारी समितियों, किसान समूहों इत्यादि में से मांग/ उद्यमी प्रेरित होता है । स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता संबंधीत राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड राजसहायता के रूप में देय परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर से उपलब्ध है ।

(ख): एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन पात्र परियोजनाओं को दी जाती है जिन्हें स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है । महाराष्ट्र राज्य में 481.64 करोड़ रुपए की कुल अनुदान सहायता की इस स्कीम के अंतर्गत 67 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं । मध्य प्रदेश राज्य में 43.48 करोड़ रुपए की कुल अनुदान सहायता की इस स्कीम के अंतर्गत 6 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं ।

(ग) से (ङ): एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम में किसी राज्य-वार लक्ष्यों की परिकल्पना नहीं की गई हैं । स्कीम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र प्रेरित है और इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं । इस स्कीम के अंतर्गत, उपयुक्त प्रस्तावों का चयन पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से मैरिट के आधार पर स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं एफडब्लू) की एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 12.87 लाख मिट्रिक टन की क्षमता और महाराष्ट्र में 9.85 लाख मिट्रिक टन क्षमता वाले शीतागारों का सृजन किया गया है ।

*****